संख्या-1/2/2006(2)-का-प्रसको-2007

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2007

विषयः- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 5 सितम्बर, 2006 के क्रम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्यकलापों हेतु उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2007 के द्वारा नोडल संस्थान नामित कर दिया गया है।

2. अतः अनुरोध है कि निम्न कार्यवाही तत्परता से सम्पादित करते हुए, कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) शासन स्तर पर प्रत्येक विभाग में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अपर विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी को प्रशिक्षण प्रबन्धक नामित करते हुए, उसका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाय।

(2) मानक मद 44-प्रशिक्षण व्यय में, वेतन की मद में प्राविधानित धनराशि के एक प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के प्राविधान कराये जाने संबंधी विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(3) जिन विभागों के अपने प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, के द्वारा शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 1999 के साथ संलग्न सूची के अनुसार अथवा यथावश्यकता किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से सम्बद्धता स्थापित करते हुए, उसकी सूचना उपलब्ध करायी जाय।

(4) विभाग /संस्थान का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर/पंचवर्षीय प्रशिक्षण योजना तैयार कर, उपलब्ध करायी जाय।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही विलम्बतम् दिनांक 15 फरवरी, 2007 तक सम्पादित कराते हुए, उसकी सूचना कार्मिक विभाग एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव ।